



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233139
CG-DL-E-04022022-233139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2022/माघ 13, 1943

No. 416]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022/MAGHA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3784, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख दिसंबर 1, 2020 में पृष्ठ सं. 21 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4296(अ) के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में और पृष्ठ सं. 1 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4296(अ) के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अनुसूची

तहसील : महुवा	जिला : भावनगर	राज्य : गुजरात
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. लिमिटेड	
दुमाड टर्मिनल (ग्रुप बी2)	आई.एच.बी. लिमिटेड, दुमाड	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**ERRATUM**

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 1 in the English version of the notification in S.O. No. 4296(E) dated November 26, 2020 published at page No. 21 in part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 and in paragraph 1 in the Hindi version of the notification S.O. No. 4296(E) dated November 26, 2020 published at page number 1, part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 of the Government of India Issued by the Ministry of the Petroleum & Natural Gas Namely:-

SCHEDULE

Tehsil : Mahuva	District : Bhavnagar	State : Gujarat
Instead of	May please be read as	
Indian Oil Corporation Limited	IHB Limited	
IOTL Dumad Terminal	IHB Limited, Dumad	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 432(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3784, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख दिसंबर 1, 2020 में पृष्ठ सं. 95 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4298(अ) के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में और पृष्ठ सं. 77 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4298(अ) के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अनुसूची

तहसील : तलाजा	जिला : भावनगर	राज्य : गुजरात
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. लिमिटेड	
दुमाड टर्मिनल (ग्रुप बी2)	आई.एच.बी. लिमिटेड, दुमाड	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 1 in the English version of the notification in S.O. No. 4298(E) dated November 26, 2020 published at page No. 95 in part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 and in paragraph 1 in the Hindi version of the notification S.O. No. 4298(E) dated November 26, 2020 published at page number 77, part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 of the Government of India Issued by the Ministry of the Petroleum & Natural Gas Namely:-

SCHEDULE

Tehsil : Talaja	District : Bhavnagar	State : Gujarat
Instead of	May please be read as	
Indian Oil Corporation Limited	IHB Limited	
IOTL Dumad Terminal	IHB Limited, Dumad	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3784, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख दिसंबर 1, 2020 में पृष्ठ सं. 58 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4297(अ) के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में और पृष्ठ सं. 40 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4297(अ) के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अनुसूची

तहसील : सिहोर	जिला : भावनगर	राज्य : गुजरात
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. लिमिटेड	
दुमाड टर्मिनल (ग्रुप बी2)	आई.एच.बी. लिमिटेड, दुमाड	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 1 in the English version of the notification in S.O. No. 4297(E) dated November 26, 2020 published at page No. 58 in part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 and in paragraph 1 in the Hindi version of the notification S.O. No. 4297(E) dated November 26, 2020 published at page number 40, part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3784 dated December 1, 2020 of the Government of India Issued by the Ministry of the Petroleum & Natural Gas Namely:-

SCHEDULE

Tehsil : Sihor	District : Bhavnagar	State : Gujarat
Instead of	May please be read as	
Indian Oil Corporation Limited	IHB Limited	
IOTL Dumad Terminal	IHB Limited, Dumad	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 434(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3785, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख दिसंबर 1, 2020 में पृष्ठ सं. 11 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4299(अ) के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में और पृष्ठ सं. 1 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4299(अ) के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अनुसूची

तहसील : वल्लभीपुर	जिला : भावनगर	राज्य : गुजरात
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. लिमिटेड	
दुमाड टर्मिनल (ग्रुप बी2)	आई.एच.बी. लिमिटेड, दुमाड	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 1 in the English version of the notification in S.O. No. 4299(E) dated November 26, 2020 published at page No. 11, in part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3785 dated December 1, 2020 and in paragraph 1 in the Hindi version of the notification S.O. No. 4299(E) dated November 26, 2020 published at page number 1, part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3785 dated December 1, 2020 of the Government of India Issued by the Ministry of the Petroleum & Natural Gas Namely:-

SCHEDULE

Tehsil : Vallabhipur	District : Bhavnagar	State : Gujarat
Instead of	May please be read as	
Indian Oil Corporation Limited	IHB Limited	
IOTL Dumad Terminal	IHB Limited, Dumad	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3785, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख दिसंबर 1, 2020 में पृष्ठ सं. 21 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4300(अ) के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में और पृष्ठ सं. 19 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4300(अ) के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अनुसूची

तहसील : भावनगर	जिला : भावनगर	राज्य : गुजरात
के स्थान पर	पढ़ा जाये	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. लिमिटेड	
दुमाड टर्मिनल (ग्रुप बी2)	आई.एच.बी. लिमिटेड, दुमाड	

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 435(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 1 in the English version of the notification in S.O. No. 4300(E) dated November 26, 2020 published at page No. 21 in part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3785 dated December 1, 2020 and in paragraph 1 in the Hindi version of the notification S.O. No. 4300(E) dated November 26, 2020 published at page number 19, part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extraordinary Gazette of India number 3785 dated December 1, 2020 of the Government of India Issued by the Ministry of the Petroleum & Natural Gas Namely:-

SCHEDULE

Tehsil : Bhavnagar	District : Bhavnagar	State : Gujarat
Instead of	May please be read as	
Indian Oil Corporation Limited	IHB Limited	
IOTL Dumad Terminal	IHB Limited, Dumad	

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-1/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.